बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि २२ नवम्बर, १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

प्रधानाध्यापकों पर आरोप।

अ-४। श्री रामाधार दुसाध—तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, दिनांक २६ अप्रैल,

१९६० के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा उक्त प्रधानाध्यापकों पर कोई कार्रवाई अबतक न की गयी है;

(२) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गोह थानान्तर्गत हमीदनगर ग्राम पंचायत के चुनाव में २ मई, १९६० को और लोहड़ी ग्राम पंचायत के चुनाव में २७मई, १९६० को उक्त प्रधानाध्यापकों ने स्कूल का काम त्याग कर उक्त दोनों पंचायतों के चुनावों में सक्रिय भाग लिया है;

(३) क्या यह बात सही है कि इनकी पढ़ाई और अनुपस्थिति से क्षुब्ध होकर स्थानीय जनता ने उक्त दोनों प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण की मांग की है; यदि हां, तो इसपर अबतक कोई सुनवाई न होने का क्या कारण है?

*कुमार गंगानन्द सिंह—(१) उत्तर नकारात्मक है। दोनों प्रधानाध्यापकों को

कड़ी चेतावनी के साथ पांच रुपया आर्थिक दंड दिया गया है।

(२) उत्तर नकारात्मक है।

(३) ऐसी बात नहीं है। गोह माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के स्थानान्तर के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, पर मलहद माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के स्थानान्तर के संबंध में आवेदन-प्रत्र प्राप्त हुआ है। प्रधानाध्यापकों के कार्यकलाप पर नजर रखी जा रही है। उनमें सुधार नहीं होने पर उनके स्थानान्तर के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

अ—प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री प्रियव्रत नारायण सिंह के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

श्री केदार पांडेय—हम अंदाज से कह रहे हैं।

*श्री रामचरित्र सिंह—ठीक है, डेट नहीं मालूम है तो महीना बतलाइये, साल बतलाइये।

श्री केदार पांडेय—ठीक है, असली बात है कि पैसा मिलना चाहिये।

श्री शकूर अहमद—हमको एटेंशन इस ओर ड्रा करना है कि उस गरीब आदमी की पेंशन काट ली गयी पांच -छः साल पहले और गवर्नमेंट के अफसर इस ओर ध्यान नहीं देते हैं।

श्री केदार पांडेय—प्री-औडिट में कब गया है, इसको हम देखेंगे। कहां यह डिले हुआ है और किस कारण से डिले हुआ है, यह जानने की हम कोशिश करेंगे कि इसके लिये कौन रिसपौंसिबुल है।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या २५ के संबंध में।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दो साल पहले कपिलदेव जी लाये थे और लास्ट सेशन में आया और जवाब नहीं मिला। लैप्स हो गया, इसलिये फिर पूछा गया है। फिर भी अभी जवाब नहीं मिल रहा है।

*श्री चन्द्रशेखर सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है। अभी जैसा कि श्री तेवारी जी ने बतलाया कि लास्ट सेशन में यही प्रश्न आया और लैप्स कर गया तो वह प्रश्न क्या रिपीट हो सकता है ?

श्री रामानन्द तिवारी—रूल को पढ़िये, तब मालूम हो जायगा।

अध्यक्ष—सचिव ने राय दी है कि "Not put question can be again put"

Shri RAMCHARITRA SINGH : If the hon'ble member likes to put it, it may be repeated. *Ipso facto* it cannot be taken up.

SPEAKER : Yes it can be repeated as a fresh question.

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

प्रबंध समिति का अभाव।

*८०। श्री सभापति सिंह तथा श्री देवेन्द्र झा—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सारन जिला अंतर्गत बसन्तपुर थाने के गोरैया कोठी कर्मयोगी उच्चांगल विद्यालय में लगभग चार-पांच साल से प्रबन्धकारिणी समिति

नहीं है और यदि है तो १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० में समिति की बैठक कब-कब हुई है और उसमें कौन सदस्य उपस्थिति रहे हैं ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के शिक्षक श्री शान्ति चटर्जी, मंगल दयाल सिंह, धर्मनाथ सिंह, बैजनाथ पान्डेय, उपेन्द्र दत्त, बलबीर राय की सेवा चार वर्षों से लगायत १० वर्षों तक की है लेकिन आज तक उनलोगों की सेवा का दृढ़ायन (confirmation) नहीं हुआ है ;

(३) क्या यह बात सही है कि विद्यालय से जो मंहगाई भत्ता के रुपये मिलते हैं उसका समान वितरण शिक्षकों में नहीं होता है तथा प्रतिमाह लगभग १८० रुपये छात्रों से वसूल होता है उसमें १२० रुपये सिर्फ शिक्षकों को दिया जाता है ;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर 'हां' में हैं, तो प्रबन्ध समिति नहीं रहने का, शिक्षकों की सेवा का दृढ़ायन नहीं करने का, तथा शिक्षकों में मंहकाई भत्ता का समान वितरण नहीं करने का क्या कारण है ?

कुमार गंगानन्द सिंह—(१) प्रथम अंश का उत्तर स्वीकारात्मक है। अतः द्वितीय अंश का प्रश्न नहीं उठता है।

(२) हां, निम्नांकित कारणों से इन शिक्षकों की संपुष्टि नहीं हो रही है :—

(१) श्री शान्ति नाथ चटर्जी कुछ वर्षों से इस स्कूल में अस्थायी शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। अभीतक इन्होंने हिन्दी प्रवेशिका परीक्षा पास नहीं की है। अतः इनकी संपुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसा ही विभागीय आदेश है।

(२) श्री मंगल दयाल सिंह शिक्षक, दिनांक २६ अगस्त १९५४ को प्रबंध समिति द्वारा हटा दिये गये थे। उनकी पुनर्नियुक्ति दिनांक ६ अप्रील, १९५६ को हुई। इस प्रकार लगातार सेवा में नहीं रहने के कारण एवं विभागीय शर्त्तों की पूर्त्ति के अभाव में उनकी संपुष्टि नहीं हुई।

(३) श्री उपेन्द्र दत्त, अस्थायी शिक्षक स्वेच्छा से कार्यभार से मुक्त होकर किसी अन्य पद पर चले गये। अतः इनकी संपुष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(४) श्री धर्मनाथ सिंह तथा श्री वैद्यनाथ पांडे ने विभागीय परीक्षा इसी वर्ष दी है। इस कारण इन्हें सम्पुष्ट नहीं किया जा रहा है।

(५) श्री बलवीर राय पूर्ण रूप से अस्थायी पद पर काम कर रहे हैं। अतः इन्हें भी संपुष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(३) विद्यालय के द्वारा सभी शिक्षकों को समान मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। छात्रों से कितना शुल्क वसूल किया जाता है, और वसूल किये गये शुल्क का १० प्रतिशत भाग कितना होता है और उसमें से कितनी रकम शिक्षकों को दी जाती है इस पर एक विवरण मेज पर रख दिया गया है।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, वह विवरण मेज पर नहीं रखा गया है। यह कितने खेद की बात है कि माननीय मंत्री कहते हैं कि रखा गया है।

Shri RAMCHARITRA SINGH : This is unfortunate. माननीय मंत्री को इस तरह नहीं कहना चाहिये।

(विवरण मेज पर रखा गया।)

कुमार गंगानन्द सिंह—उसके रख देने का आदेश दिया गया था।

(४) विभागीय आदेशानुसार पुरानी प्रबंध समिति विघटित कर दी गयी थी और नयी समिति के लिये विभागीय मनोनयन विचाराधीन था। इधर हाई स्कूल कंट्रोल ऐक्ट पास होने की प्रतीक्षा की जा रही थी। इसलिये प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। ऐक्ट अब पास हो गया है। प्रबंध समिति को पुनर्गठित करने की कार्रवाई की जा रही है।

कुछ शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं करने के कारण खंड (२) के उत्तर में बताये जा चुके हैं।

शिक्षकों के बीच मंहगाई भत्ते का समान वितरण क्यों नहीं हो रहा है इसकी जांच की जा रही है।

श्री सभापति सिंह—प्रथम खंड के जवाब में यह कहा गया है कि ५ वर्ष तक प्रबंधकारिणी समिति नहीं थी तो इन ५ वर्षों में स्कूल का प्रबंध और कंट्रोल किसके द्वारा होता था ?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सभापति सिंह—आज ५ वर्ष से सारे स्कूलों का कंट्रोल आपके हाथ में है और आपका यह कहना कि इस अवधि में स्कूल में कोई प्रबंधकारिणी समिति नहीं थी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किसके द्वारा स्कूल का कंट्रोल होता था ?

कुमार गंगानन्द सिंह—इसका जवाब खंड (४) के उत्तर में सन्निहित है। अब कानून पास हो गया है, अतः प्रबंधकारिणी समिति अब बन जायेगी। इस बीच हेडमास्टर ही सब काम चला रहे थे।

श्री सभापति सिंह—जब हेडमास्टर ही सभी काम चला रहे थे तो स्कूल के फंड का रुपया किसके नाम से जमा होता था और कौन रुपया निकालता था ?

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं उठता है।

श्री सभापति सिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि इस स्कूल की प्रबंधकारिणी समिति को कब विघटित किया गया ?

अध्यक्ष—सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही विघटित हो गया। यह सवाल भी नहीं उठता है।

*श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, स्कूल की प्रबंधकारिणी समिति कब विघटित हुई इसे क्यों नहीं पूछा जा सकता है जबकि सरकार का यह कहना है कि वह विघटित हो गयी है ?

अध्यक्ष—सुप्रीम कोर्ट के फैसला होने से ही विघटित हो गयी।

श्री सभापति सिंह—मैं यह जानता चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कितने दिनों के बाद प्रबंधकारिणी समिति विघटित हुई है?

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं उठता है।

श्री सभापति सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि गौरैया कोठी प्रवन्धकारिणी समिति जब विघटित हो गयी यानी उसका हक छीन लिया गया......

अध्यक्ष—इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है। आप इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के होने के बाद गौरैयाकोठी प्रबंधकारिणी समिति की बैठक होती रही या नहीं?

श्री सभापति सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला होने के बाद स्कूल की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक होती रहीं या नहीं, और अगर बैठक हुई तो कितनी बार हुई?

कुमार गंगानन्द सिंह—मैंने इसका जवाब प्रश्नों के खंडों में दे दिया है। इसके बाद यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सभापति सिंह—अध्यक्ष महोदय, किसी प्रश्न का जवाब स्पष्ट रूप से सरकार ने नहीं दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज इसको पोस्टपोन किया जाय।

कुमार गंगानन्द सिंह—मैंने सभी प्वायंट का जवाब दे दिया है, इसलिए इसको पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई नयी बात आप पूछें तो उसका जवाब दिया जा सकता है। मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला होने के बाद उस प्रबंधकारिणी समिति का विघटन हो गया और उसके बाद दूसरी प्रबंधकारिणी समिति नहीं बनी तो इस बीच में प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक होने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सभापति सिंह—खंड (३) के जवाब में सरकार ने कहा है कि श्री मंगल दयाल सिंह की सेवा बीच में ब्रेक हो गयी यानी १९५४ में वे स्कूल से चले गये और फिर १९५६ में आये, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब वे दो वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं तो उनकी संपुष्टि होनी चाहिए या नहीं?

(सभा भवन में कुछ आवाज हो रही थी।)

अध्यक्ष—हमारे माननीय सदस्य क्या चुप रहना जानते हैं या नहीं। जिस वक्त सवाल पूछा जा रहा हो और उसका जवाब दिया जा रहा हो, उस वक्त उन सवालों और जवाबों को सुनने के लिए माननीय सदस्य को चुप रहना चाहिए और इस बीच अगर माननीय सदस्य बोलेंगे तो वे सवाल और जवाब क्या समझेंगे।

माननीय सदस्य को पूछना है कि दो वर्षों तक लगातार काम करने के बाद ऐसा नियम है कि नहीं कि उनकी संपुष्टि कर दी जाय।

(इसी समय एक चपरासी एक कागज लेकर आया और माननीय मंत्री के हाथ में दिया।)

श्री रामचरित्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, हमेशा चपरासी सभा भवन में आता-जाता रहता है जिससे बहुत डिसटरबेंस होता है और वे लोग फ्लोर को क्रौस भी करते हैं।

कुमार गंगानन्द सिंह—सिर्फ दो वर्षों तक काम कर लेने के बाद ही किसी का कनफरमेशन हो जाय, ऐसी बात नहीं है। उनका और भी काम देखा जाता है और सभी तरह से संतोषजनक होने पर ही कनफरमेशन किया जाता है।

श्री सभापति सिंह—क्या यह बात सही है कि नहीं कि हेडमास्टर के पास जो इन्सपेक्टर की रिपोर्ट है उसमें सभी तरह से उनके बारे में अच्छा लिखा हुआ है?

कुमार गंगानन्द सिंह—इसके लिये सूचना चाहिए।

श्री सभापति सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि किसी भी हाई स्कूल के टीचर होने के लिए प्रवेशिका पास करने की जरूरत है या नहीं और क्या इसके लिए कोई नियम है या नहीं?

कुमार गंगानन्द सिंह—पहले ऐसे शिक्षक को जो प्रवेशिका पास नहीं थे उनको रख लिया गया था लेकिन अब ऐसा नियम हो गया है कि उनको प्रवेशिका पास करना होगा। पहले ऐसी आशा की जाती है कि बहाली होने के बाद वे प्रवेशिका पास कर लेंगे और तब उनका कनफरमेशन होगा। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है।

श्री सभापति सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि यह नियम कब से बना है कि प्रवेशिका पास करना कनफरमेशन के लिये जरूरी है?

कुमार गंगानन्द सिंह—तारीख और समय अभी हम नहीं बता सकते हैं। इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री सभापति सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो भी प्रश्न पूछा जाता है करीब-करीब सभी में वे सूचना चाहते हैं। इसलिये आज इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दिया जाय। इसलिये कि वे जरा गौर से पढ़ लेंगे और तब जवाब देंगे।

अध्यक्ष—आप अभी जितना प्रश्न पूछना चाहें पूछ लें, लेकिन मैं इसको स्थगित नहीं करूंगा।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि आप प्रश्न पूछते जांय पर आप सरकार को जवाब देने के लिये मजबूर नहीं करते हैं। मैं बहुत गौर से सुनता रहा हूं और मैंने बराबर यही सुना कि इसके लिये सूचना चाहिये। तो जब किसी प्रश्न का जवाब वे नहीं दे रहे हैं इसलिये कहा जा रहा है कि इसको आज स्थगित कर दें।

श्री सभापति सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि प्रवेशिका पास करना हाई स्कूल के लिये नियम के अनुकूल है तो जो प्रवेशिका पास नहीं हैं और वे टीचर हैं, क्या यह नियमानुकूल है ?

कुमार गंगानन्द सिंह—मेरे पास जो नियम हैं उसमें अनट्रेन्ड टीचर....

श्री रामानन्द तिवारी—अनट्रेन्ड की बात वे कहां पूछ रहे हैं वे तो प्रवेशिका पास करने के बारे में पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष—आप पहले उनको बोलने तो दीजिये। कई माननीय सदस्य एक ही बार बोलने लगते हैं। यह ठीक नहीं होता है। इसमें श्री शान्ति चटर्जी के बारे में प्रश्न है।

कुमार गंगानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शायद मेरी बात अच्छी तरह समझी नहीं है। उन्होंने हिन्दी प्रवेशिका परिक्षा से प्रवेशिका परीक्षा कहना शुरू कर दिया। जो हिन्दी नहीं जानता है उसके लिये हिन्दी में परीक्षा पास करना आवश्यक है और नियम भी है।

अध्यक्ष—आपके कहने का मतलब है कि हिन्दी में प्रवेशिका परीक्षा पास होना चाहिये तब कन्फर्मेशन होगा ?

कुमार गंगानन्द सिंह— जी हां।

श्री सभापति सिंह—क्या यह बात सही है कि गोरैया कोठी कर्मयोगी उच्चांगल विद्यालय में हिन्दी के माध्यम से सभी पढ़ाई होती है ?

अध्यक्ष—यह सवाल कैसे उठता है ? उनका कहना है कि प्रवेशिका परीक्षा हिन्दी में पास नहीं किया तो कन्फर्म नहीं करेंगे।

श्री सभापति सिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हिन्दी में प्रवेशिका परीक्षा पास नहीं हैं क्या वे हाई स्कूल के शिक्षक हो सकते हैं ?

अध्यक्ष—यह सवाल कैसे उठता है ? आपका सवाल तो कंफर्मेशन के बारे में है।

श्री सभापति सिंह—वे कहते हैं कि हिंदी प्रवेशिका परीक्षा पास होना चाहिये, तो जिस स्कूल में हिन्दी में पढ़ाई होती है उसमें गैर-हिन्दी वाले को क्यों रखा गया ? हुजूर, माननीय मंत्री का जो जवाब है उसी से यह सवाल उठता है। अगर वे मान लें कि गलती हुई तो हमें कुछ पूछना नहीं है।

अध्यक्ष—यहां तो जवाब की बात है, मानने का सवाल कहां है ?

श्री सभापति सिंह—जवाब में कहा गया है कि श्री उपेन्द्र दत्त, शिक्षक किसी दूसरी जगह काम करने चले गये इसलिये उनके कन्फर्मेशन का सवाल नहीं उठता है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि वे कब दूसरी जगह गये ?

कुमार गंगानंद सिंह—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री सभापति सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी भी इस सवाल को पोस्टपोन किया जाय इसलिये कि एक सवाल का भी जवाब ठीक नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष—(३) के बारे में और जो पूरक पूछना हो आप पूछ सकते हैं वे जवाब तो दे रहे हैं।

श्री सभापति सिंह—मंगल दयाल सिंह के बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया कि जानकारी नहीं है, फिर श्री शांति चटर्जी के बारे में पूछा तो वे कहते हैं कि....

अध्यक्ष—इस संबंध में तो जवाब हो ही गया है।

श्री सभापति सिंह—(४) के बारे में पूछ रहे हैं, उपेन्द्र दत्त कब स्कुल छोड़कर चले गये ?

अध्यक्ष—वह तो आप पूछ चुके।

श्री सभापति सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि श्री बलबीर राय को चार वर्ष तक काम करने के बाद भी क्यों कनफर्म नहीं किया गया।

कुमार गंगा नन्द सिंह—इसका जवाब तो उत्तर में ही निहित है कि वे अस्थाई रूप से नियुक्त हुये थे।

श्री सभापति सिंह—एक शिक्षक को २ वर्षों से ज्यादा अस्थाई नहीं रखा जाता है, क्या यह सही है या नहीं ?

कुमार गंगानन्द सिंह—ऐसा कोई नियम नहीं है कि दो वर्षों में सम्पुष्टी कर ही दिया जाय। ऐसे शिक्षकों की जो अस्थाई रूप से काम करते हों उनके काम को देखकर ही सम्पुष्ट किया जाता है।

श्री सभापति सिंह—क्या यह बात सही है या नहीं कि प्रत्येक शिक्षक को पहले अस्थाई रूप से ही नियुक्त किया जाता है ?

अध्यक्ष—यह तो हो चुका।

श्री सभापति सिंह—वे कहते हैं कि अस्थाई रूप से नियुक्ति हुई।....

अध्यक्ष—जो आप पूछ रहे हैं उसे तो सभी जानते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि उनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से हुई, माननीय सदस्य का कहना है कि आमतौर से शिक्षकों की नियुक्ति अस्थाई रूप से होती है।

अध्यक्ष—इससे क्या रेलिवैंसी है ?

*डा० श्रीकृष्ण सिंह—एक टेम्पररी होता है और एक ओन प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन के पूरा होने पर सम्पुष्टि के लिये विचार किया जाता है। लेकिन जिनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से होती है उनके लिये कोई ऐसा नियम नहीं है।

श्री सभापति सिंह— मैं जानना चाहता हूं कि धर्मनाथ सिंह के कनफरमेशन नहीं होने का क्या कारण है ?

[कुमार गंगानन्द सिंह—जहां तक श्री धर्मनाथ सिंह और श्री बैजनाथ पान्डे का सवाल है, उत्तर दे दिया गया है। जवाब में कहा गया है कि इस बार उनलोगों ने विभागीय परीक्षा दी है, उसका रिजल्ट अभी निकला नहीं है। रिजल्ट निकलने पर उनके कनफरमेशन के संबंध में विचार किया जायगा।]

श्री सभापति सिंह—विभागीय परीक्षा देना और उत्तीर्ण होना कनफरमेशन के लिये आवश्यक नहीं है, यह सही है या नहीं ?

अध्यक्ष—उन्होंने तो कहा है कि यह विचाराधीन है।

[देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८० के खंड (३) का उत्तर गत पृष्ठ ६ पर ।]

फीस द्वारा आमदनी के दस प्रतिशत की विवरणी ।

महीना ।	१० प्रतिशत वढ़ौती लेकर शुल्क की आय ।	१० प्रतिशत वढ़ौती से शुद्ध आमदमी ।	१० प्रतिशत बढ़ौती के वाद कर शुल्क से आय ।
1	2	3	4
January, 1960	2,082.25	208.22	1,874.03
February, 1960	1,901.00	190.10	1,710.00
March, 1960	1,900.81	190.08	1,710.73
April, 1960	1,891.19	189.12	1,702.07
May, 1960	1,856.31	185.63	1,670.68
June, 1960	1,856.31	185.63	1,670.68
July, 1960	1,920.94	192.09	1,728.85
August, 1960	1,830.06	183.00	1.647.06
September, 1960 ..	1,812.69	181.27	1,631.42
October, 1960	1,808.94	180.89	1,628.05
TOTAL ..	18,860.50	1,886.03	16,970.47

N. H. SINHA,
Principal Karmayogi High School, Goreakothi.

विद्यालय के शिक्षकों की योग्यता, वेतन तथा मंहगाई भत्ता की विवरणी।

Sl. no.	Name of teachers.	Qualifications.	Rate of pay.	School D.A. paid out of the increased fee 10%.	Government D.A.	Total income from fee for the 1st 10 months (January to October. 1960).
1	2	3	4	5	6	7
			Rs.	Rs.	Rs.	
1	Sri Narsingh Narain Singh	M.A.M.ED.	280	15	12	
2	Sri Dharmanath Sinha	B. Sc.	100	10	12	
3	Sri Rama Kant Shahi	B. A.	83	10	12	
4	Sri Baij Natha Pandey	B.A.	70	10	12	
5	Sri Balbir Roy ..	M.A.	100	10	12	
6	Sri Chandradeep Sinha..	M.A.	100	10	12	
7	Sri Bharath Pd. Sinha ..	B.A.	70	10	12	
8	Sri Deo Sharan Sinha..	B. Com.	70	10	12	
9	Sri Chandrika Pd. Shahi	I.A.,S.T.C.	84	5	12	
10	Sri Mangal Dyal Sinha..	I.A., S.T.C.	64	6	12	
11	Sri Raj Narain Sinha ..	I.A., S.T.C.	62	6	12	
12	Shantinath Chotepadhya	I.A., S.T.C.	60	6	12	
13	Sri Deo Sharan Sinha	I.A., S.T.C.	72	6	12	
14	Sri Mangani Nath Tripathi.	Kabyatirth	82	5	12	
15	Sri Jaroo Pd. Sinha ..	I. Sc.	70	10	12	
16	Sri Shyamanand Sinha	Matric	60	5	12	
17	Sri Syed Mohd. Quadir	Alim	58	4	12	
18	Sri Mansoor Hassan ..	I.A.	50	5	12	
19	Sri Triguna Sinha ..	Trained in Scouting and Drill.	57	4	12	
20	Sri Maharaj Rawat ..	Matric	40	5	12	
	TOTAL ..		..	152	..	

N. N. SINHA,

Principal Goreakhothi High School, Saran.

इनायतुर रहमान,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना :
तिथि २२ नवम्बर १९६०।